



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21919

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 388/2026

जितेंद्र कुमार सिंह

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : हरीश चंद्र, प्रमोद कुमार

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व) मंडल आजमगढ़ को जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 27(3) के तहत वाद संख्या 484/2023 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 20235415600000484 (जितेंद्र कुमार सिंह बनाम राज्य एवं अन्य) को यथासंभव संक्षिप्त निश्चित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त वाद को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों (मेरिट) पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रत्यर्थी संख्या 3 को एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार सख्ती से उक्त वाद को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर तय करने के निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है।
5. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"